28

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1110-एक/2001 - विरूद्ध आदेश दिनांक 5-5-2001 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 408/2000-01 अपील

1- महिला सकुन्तला देवी पत्नि किशोरीलाल
2- पुष्पलता पुत्री किशोरीलाल
3- शिवरामप्रसाद पुत्र किशोरीलाल
4- सुमनलता पुत्री किशोरीलाल
5- कंचनलता पुत्री किशोरीलाल
6- श्रीकुमार पुत्र किशोरीलाल अवयस्क
संरक्षक महिला सकुन्तला देवी पत्नि किशोरीलाल
सभी ग्राम उमरी तहसील रघुराजनगर जिला सतना ---आवेदकगण

विरूद्ध

मेसर्स एस.के.कहान एण्ड सन्स सतना द्वारा प्रो0
सुनीलकुमार जौहर पुत्र राजीन्द्र रना जौहर
सिविल लायन कटनी जिला कटनी मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 03-11-2017 को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 408/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 213/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-10-1997 के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 408/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-2001 से अपील इस आधार पर निरस्त कर दी कि अपील अवधि वाह्य है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि सहायक अधीक्षक भूमि परिवर्तन सतना के प्रकरण क्रमांक 18 अ 6/90-91 में पारित आदेश दिनांक 28-6-1993 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष 3-7-95 को यानि दो वर्ष के अन्तर से अपील प्रस्तुत की गई थी क्योंकि महिला सकुन्तला पर्दानसीन है एंव अनपढ़ होने से उसे कानूनी ज्ञान नहीं है उसके बच्चे शिक्षा में अध्ययनरत रहे हैं जिसके कारण अपील करने में विलम्ब हुआ एंव सहायक अधीक्षक भूमि परिवर्तन सतना के आदेश दिनांक 28-6-1993 की जानकारी यथासमय न हो सकी। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर का न्यायिक कर्तव्य था कि वह वास्तविकता समझकर उदार रूख अपनाते। यही स्थिति अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 213/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-10-1997 की रही है महिला महिला सकुन्तला पर्दानसीन होने अनपढ़ होने व उसे कानूनी की जानकारी न होने के कारण अपर आयुक्त के समक्ष भी यही स्थिति रही है क्योंकि उसके बच्चे शिक्षण कार्य में वाहर रहे हैं जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर के आदेश दिनांक 28-10-1997 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक 29-12-1997 को यानि एक दिवस के विलम्ब से अपील हुई थी। उन्होंने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने की मांग रखी।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त के प्रकरण क्रमांक 408 / 2000-01 अपील अवलोकन पर पाया गया कि अपर

आयुक्त के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के आदेश दिनांक 28-10-97 के विरूद्ध दिनांक 29-12-97 को अपील प्रस्तुत हुई है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 में वर्ष 1997 में निर्धारित अवधि अनुसार अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त/अपर आयुक्त के न्यायालय में अपील/निगरानी प्रस्तुत करने हेतु 60 दिवस की अवधि निर्धारित रही है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 408/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-2001 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष सहायक अधीक्षक भूमि परिवर्तन सतना के प्रकरण कमांक 18 अ 6/90-91 में पारित आदेश दिनांक 28-6-1993 के विरूद्ध अपील दिनांक 3-7-95 को यानि दो वर्ष के अन्तर से प्रस्तुत हुई है एंव अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत करते हुये विलम्ब का कारण भी दर्शाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष जब यह तथ्य आ चुका था कि महिला सकुन्तला पर्दानसीन है एंव अनपढ़ होने से उसे कानूनी ज्ञान न नहीं है उसके बच्चे शिक्षण कार्य में अध्ययनरत रहे हैं जिसके कारण अपील करने में विलम्ब हुआ एंव सहायक अधीक्षक भूमि परिवर्तन सतना के आदेश दिनांक 28-6-1993 की जानकारी यथासमय नही हो सकी है, अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर को न्यायदान की दृष्टि से विलम्ब क्षमा करने में उदार-रूख अपना चाहिये था।

1. **स्टेट आफ विहार बनाम वासुदेव लाल गुप्ता A.I.R. 2010 झारखंड 39 का न्याय दृष्टांत है कि विधायिका ने धारा 5 की शक्ति न्यायालय को विलम्ब क्षमा करने के संबंध में इसीलिए प्रदान की है ताकि न्यायालय मामले को गुणागुण पर निराकृत पक्षकारों के साथ सारवान न्याय करने में समर्थ हो सके।**
2. **शालिगराम बनाम कैशव 2012(1) म0प्र0लॉ0ज0 93 म0प्र0 का न्याय दृष्टांत इस प्रकार है - " अपीलीय न्यायालय ने अपील को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वह समय वर्जित थी परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन फाइल किया गया था और विलम्ब क्षमा करने की प्रार्थना यह कहते हुये की गई थी कि अपीलांट ग्रामीण व्यक्ति था और उसे सिविल वाद के भविष्य की जानकारी नहीं थी एंव अपीलांट**

को सिविल वाद में निर्णय व डिक्री पारित होने की जानकारी उस समय हुई थी जबकि राजस्व न्यायालय में कार्यवाही आरंभ हुई । मामले के इन तथ्यों व परिस्थितियों में विलम्ब क्षमा करने के वावत उदार रूख अपनाया जाना चाहिये था। मात्र इस तकनीकी आधार पर कि अपील विलम्बित थी अपील को निरस्त नहीं किया जाना चाहिये था।

उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के कम में आवेदकगण के अभिभाषक के इस तर्क से असहमत होने का कोई कारण नहीं है कि महिला सकुन्तला पर्दानसीन व अनपढ़ है एंव उसे कानूनी ज्ञान नहीं है उसके बच्चे शिक्षण कार्य में अध्ययनरत रहे हैं जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी को उदाररूख अपनाकर विलम्ब क्षमा करना था जो उन्होंने न करने में भूल की है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आँशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 408/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-2001 एंव अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर द्वारा प्रकरण कमांक 213/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-10-1997 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह न्याय की दृष्टि से उभय पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करें तथा पुनः गुणागुण पर आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर